न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोजपुर, आरा

जमानत आवेदन संख्या 622 / 2026

सुनील राय **आवेदक**

बनाम

बिहार सरकार **प्रतिपक्षी**

आदेश / कार्रवाई की तिथि	आदेश एवं न्यायालय का हस्ताक्षर	कार्यालय द्वारा की गयी कार्रवाई
12.03.2026	1. दिनांक 04.02.2026 से कारासंसीमित चले आ रहे आवेदक अभियुक्त सुनील राय की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार श्रीवास्तव, परिवादिनी की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वनाथ पाठक एवं विद्वान लोक अभियोजक श्री राणा प्रताप सिंह उपस्थित हुए। जमानत आवेदन पर सभी पक्षों को सुना। 2. आवेदक की ओर से यह निवेदन किया गया कि आवेदक की ओर से पूर्व में अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 2825 / 2023 दाखिल किया गया था, जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहॉ से अस्वीकृत हुआ। इसके अलावे अन्य कोई जमानत का आवेदन कहीं दाखिल नहीं किया है। आवेदक निर्दोष है। इसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। वास्तव में घटनास्थल पर वैसी कोई घटना घटित नहीं हुई, जिसका परिवाद के आवेदन में वर्णन किया गया है। आवेदक एवं अन्य व्यक्ति मौजा बरूही, खाता संख्या 568 खेसरा 2860 रकवा 19 डिसमिल श्याम प्रसाद अकेला से दिनांक 04.06.2021 को खरीद किये हैं। उक्त विक्रय की जानकारी के बाद परिवादिनी ने एक स्वत्व वाद संख्या 715 / 2022 न्यायालय प्रथम मुंसिफ के यहॉ उक्त विक्रय पत्र को रद्द करने हेतु दाखिल की है। इसके बावजूद यह मिथ्या परिवाद वाद दाखिल की है। आवेदक दिनांक 04.02.2026 को स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किया एवं तब से कारासंसीमित चला आ रहा है। उक्त सभी तथ्यों पर पक्ष प्रस्तुत करते हुए जमानत की प्रार्थना की गयी।	

पुरूषोत्तम मिश्र,
सत्र न्यायाधीश,
12.03.2026

न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोजपुर, आरा

जमानत आवेदन संख्या 622 / 2026

लगातार 12.03.2026	3. विद्वान लोक अभियोजक एवं परिवादिनी की ओर से जमानत का विरोध किया गया। यह निवेदन किया गया कि आवेदक एवं अन्य अभियुक्त परिवादिनी की जमीन को दबंगता दिखाकर हड़पना चाहते हैं। उक्त आधार पर जमानत आवेदन खरिज करने की प्रार्थना की गयी। 4. प्रस्तुत मामला परिवाद वाद संख्या 709 सी / 2022 में विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 467 / 468 / 341 / 323 / 504 / 34 भा0द0वि0 के अपराध का अधिपत्र आहुत किया गया है। आवेदनानुसार अभियोजन कथानक का सारांश इसप्रकार है। मौजा बरूही का खाता नम्बर 568 खेसरा 2860 रकवा 38 डिसमिल परिवादिनी दिनांक 13.07.2002 को निबंधित क्रय की है। वह उसपर जब निर्माण कार्य करा रही थी, उसी दरम्यान सभी अभियुक्त हरवे हथियार से लैस होकर आये। इनमें से अरूण कुमार देशी पिस्तौल लेकर अन्य को ललकार रहे थे और निर्माण कार्य कराने को मना कर रहे थे। वजह पूछने पर बताये कि उक्त जमीन को इन्होंने क्रय किया है। निबंधन कार्यालय पता कराने पर यह पता चला कि एक काल्पनिक व्यक्ति श्याम प्रकाश अकेला वल्द स्व0 ईश्वर दयाल गुप्ता से उक्त जमीन को इन्होंने क्रय कर लिया है। श्याम प्रकाश अकेला नाम का ईश्वर दयाल को कोई पुत्र नहीं है। 5. दोनों पक्षों को सुनने एवं अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 467 / 468 / 341 / 323 / 504 / 34 भा0द0वि0 के अपराध का अधिपत्र आहुत किया गया है। जॉच साक्ष्य के दौरान परिवादी की ओर से कुल चार साक्षियों का बयान कराया गया है। जिनके आधार पर विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी ने संज्ञान लिया है। किन्तु मामला परिवाद पर आधारित है। दोनों पक्षों के बीच	

पुरूषोत्तम मिश्र,
सत्र न्यायाधीश,
12.03.2026

न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोजपुर, आरा

जमानत आवेदन संख्या 622 / 2026

लगातार **12.03.2026**	स्वीकृत रूप से स्वत्व वाद संख्या 715 / 2022 न्यायालय प्रथम मुंसिफ के यहॉ लम्बित है। इसप्रकार उभय पक्षों के बीच दीवानी मामला लम्बित है एवं भूमि–विवाद है। आवेदक दिनांक 04.02.2026 को स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किया एवं तब से कारासंसीमित चला आ रहा है। मामले के सह–अभियुक्त अरूण राय की जमानत विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा दी जा चुकी है। 6. उक्त समग्र तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए आवेदक अभियुक्त सुनील राय को उसके द्वारा मो. 10000 / –रू. की सामान राशि के प्रतिभु के साथ विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी, के संतुष्टि योग्य दो जमानतदारों का जमानत बंधपत्र समर्पित करने पर उसे जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है। (मेरे द्वारा लेखापित एवं शुद्धिकृत किया गया) Sd/- **(पुरूषोत्तम मिश्र)** **प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश** **12.03.2026**	